

27.11.24

पञ्जावली पेश हुई। कबील उमय पञ्ज
उपस्थित। बहस जारी। पञ्ज हुनी गई।
कबील साधना द्वारा निवेदन किया कि
उनकी महामोहन बत्राम रवल को
उपदेश व डिक्री दिनांक 29/9/2017
बाबर आदेश। 9 विपम 13 CPC 37

जारी पञ्ज विचाराधीन न्यायालय है अतः
ग्राम फतेहपुर जिला के अदालती खाने
 $\frac{269}{0.69}$, $\frac{295}{0.70}$ में गैर साधना तापेस्ता
दुकानों को यथास्थिति बत्रामे रखे जाई
निर्माण कार्य न करें।

गैर साधना कबील द्वारा
उक्त जवाब अउफार निवेदन किया कि
प्रार्थना पञ्ज जिन वाद पञ्ज के विद्वेष
किया है उक्त निर्णय पालना में
रजराय दिनांक 18-5-2018 से पूर्ण हो

ख
म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

शुद्धी है। जिसकी जानकारी खासतौर से
की है अतः प्रार्थना पत्र मात्र - पापालय
को अनुसर करने के लिए पत्र लिखा जा
रहा है।

उभय पक्षों के बीच पर मना ब्याप
पत्रारली का अन्वेषण किया। प्रार्थना द्वारा
प्रार्थना पत्र में मोठे की यथास्थिति का
आदेश किया गया है परन्तु पत्रारली में शक्ति
द्वारा का अन्वेषण करने पर पत्रारली
से - पापालय निर्णय की चालना होने से
दिनांक 18.5.18 को द्वारा पत्रारली
निर्णय की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में
आज मोठे की यथास्थिति का ब्याप
आदेश है अतः प्रार्थना पत्र व द्वारा
किस वहीन स्पष्ट नहीं कर पाया।
अतः प्रार्थना पत्र पर कोई प्रार्थना की
अपेक्षा न होने से प्रार्थना पत्र धारा 151
CPC खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र निर्णय हेतु
शाफिल मूल प्रार्थना पत्र है।


(दुर्गा प्रसाद मीरा)